विक्य पूर्व सूचना पत्र

SIA FINANCE Saath Aapke... Hameshx

Ref. No.: 5773909 Pre.

बनाम≔ BORROWER

Date: 19-Apr-23

88

* R M 7 5 3 2 1 8 1 2 8 I N *

VIVEK SINGH C/O PRAMOD SINGH

SEKHAWAT NAGAR KACCHI BASTI JHAHALANA DUNGRI JAIPUR 272 JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302004

बनाम:- Borrower:- VIVEK SINGH C/O PRAMOD SINGH

SEKHAWAT NAGAR KACCHI BASTI JHAHALANA DUNGRI JAIPUR 272 JAIPUR

Jaipur Jaipur Rajasthan 302004

Co-Borrower-1: VIKAS SINGH C/O PRAMOD SINGH

12/92 SHEKHAWAT, NAGAR KACCHI BASI OPP RVTI GIRLS

JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302004

Co-Borrower- 2: NIL

GTR - 1: GUDDI DEVI C/O HARI NARAYAN

P NO 68 VESHNO VIHAR III D KOKAWAS SANGANER JAIPUR 272

JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302019

महोदय.

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:—–

यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय

सुविधा प्रदान करना है।

- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 VIVEK SINGH C/O PRAMOD SINGH बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 VIKAS SINGH C/O PRAMOD SINGH, एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 GUDDI DEVI C/O HARI NARAYAN गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवमं 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभृति दी गयी है ।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5773909 दिनांक 05-Aug-22 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 360000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन XCENT CRDI_Hyundai_COMM_VEH जिसका रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ14TE3264 इंजन नम्बर D3FAJM554357 एवं चेसिस नम्बर MALA741DLJM310038 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तोनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 13580/-रूपयें की 36 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों मे की जानी थी ।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तों को शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नहीं रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 16-Apr-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 387182/— रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना—पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 387182/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन ''जहाँ है जैसी है स्थिति में' (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यु मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

विक्य पूर्व सूचना पत्र

SIA FINANCE Saath Aapke... Harnesh:

Ref. No.: 5773909 Pre.

Date: 19-Apr-23

89

बनामः— CO-BORROWER

VIKAS SINGH C/O PRAMOD SINGH

12/92 SHEKHAWAT,NAGAR KACCHI BASI OPP RVTI GIRLS JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302004

बनाम:- Borrower:- \

VIVEK SINGH C/O PRAMOD SINGH SEKHAWAT NAGAR KACCHI BASTI JHAHALANA DUNGRI JAIPUR 272 JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302004

Co-Borrower-1: VIKAS SINGH C/O PRAMOD SINGH

12/92 SHEKHAWAT, NAGAR KACCHI BASI OPP RVTI GIRLS

JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302004

Co-Borrower- 2: NIL

GTR - 1: GUDDI DEVI C/O HARI NARAYAN

P NO 68 VESHNO VIHAR III D KOKAWAS SANGANER JAIPUR 272

JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302019

महोदय.

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:—

• यह कि प्रार्थी एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय

सुविधा प्रदान करना है।

- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 VIVEK SINGH C/O PRAMOD SINGH बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 VIKAS SINGH C/O PRAMOD SINGH, एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 GUDDI DEVI C/O HARI NARAYAN गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवमं 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभृति दी गयी है ।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5773909 दिनांक 05-Aug-22 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 360000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन XCENT CRDI_Hyundai_COMM_VEH जिसका रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ14TE3264 इंजन नम्बर D3FAJM554357 एवं चेसिस नम्बर MALA741DLJM310038 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तोनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 13580/-रूपयें की 36 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों में की जानी थी ।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तों की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तों को शर्तों को भंग कर दिया। अतः निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नहीं रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 16-Apr-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 387182/— रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना—पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 387182/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन ''जहाँ है जैसी है स्थिति में' (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यु मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

विक्य पूर्व सूचना पत्र

SIA FINANCE Saath Aapke... Harnesh:

Ref. No.: 5773909 Pre.

Date: 19-Apr-23

90



GUDDI DEVI C/O HARI NARAYAN

P NO 68 VESHNO VIHAR III D KOKAWAS SANGANER JAIPUR 272 JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302019

बनाम:- Borrower:- VIVEK SINGH C/O PRAMOD SINGH

SEKHAWAT NAGAR KACCHI BASTI JHAHALANA DUNGRI JAIPUR 272 JAIPUR

Jaipur Jaipur Rajasthan 302004

Co-Borrower-1: VIKAS SINGH C/O PRAMOD SINGH

12/92 SHEKHAWAT, NAGAR KACCHI BASI OPP RVTI GIRLS

JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302004

Co-Borrower- 2: NIL

GTR - 1: GUDDI DEVI C/O HARI NARAYAN

P NO 68 VESHNO VIHAR III D KOKAWAS SANGANER JAIPUR 272

JAIPUR Jaipur Jaipur Rajasthan 302019

महोदय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:—–

• यह कि प्रार्थीं एक गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत कार्य करती है, जिसका मुख्य कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय

सुविधा प्रदान करना है।

- यह कि निम्नवर्णित ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में आप कंमाक संख्या 1 VIVEK SINGH C/O PRAMOD SINGH बतौर ऋणी तथा आप कंमाक संख्या 2 VIKAS SINGH C/O PRAMOD SINGH, एवं NIL बतौर सहऋणी है एवमं आप कंमाक संख्या 3 GUDDI DEVI C/O HARI NARAYAN गारण्टर है के द्वारा ऋण अनुबन्ध की समस्त शर्तों की पूर्ण पालना बाबत कम संख्या 1 एवमं 2 की ओर से स्वयं की प्रतिभृति दी गयी है ।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5773909 दिनांक 05-Aug-22 को निष्पादित कर प्रार्थी कम्पनी से 360000 /-रूपयें की ऋण राशि अपने वाहन XCENT CRDI_Hyundai_COMM_VEH जिसका रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ14TE3264 इंजन नम्बर D3FAJM554357 एवं चेसिस नम्बर MALA741DLJM310038 है, पर प्राप्त की गयी है । यह की अनुबन्ध की सहमत नियम व शर्तोनुसार उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 13580/-रूपयें की 36 नियीमत मासिक / स्ट्रक्चर्ड किस्तों में की जानी थी ।
- यह कि जब तक ऋण अनुबन्ध की सम्पूर्ण शर्तों की पालना नहीं हो जाती, उक्त वाहन को आपके आधिपत्य में रखते हुए, आपको प्रार्थी कम्पनी के निर्देशानुसार निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना था। यह कि निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों के तहत उक्त वाहन ,प्रार्थी कम्पनी के हक में हाईपोथिकेटेड है एवं उक्त वाहन पर प्रथम चार्ज प्रार्थी कम्पनी में निहित है। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अदायगी में चूक हो जाने या ऋण अनुबन्ध की किसी भी शर्त की पालना में चूक हो जाने पर प्रश्नगत वाहन के सम्बन्ध में आपके समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगे एवं आप प्रश्नगत वाहन को प्रार्थी कम्पनी को लौटाने के लिये उत्तरदायी हो जायेगें एवं प्रार्थी कम्पनी को प्रश्नगत वाहन आधिपत्य में लेकर अनुबन्ध की शर्तोनुसार विक्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपके द्वारा प्रश्नगत वाहन पर वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के पश्चात एवं ऋण सुविधा का उपयोग करते रहने के बाबजूद समय पर अनुबन्ध की शर्तो की पालना नहीं की व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तो नुसार किश्तों की अदायगी में चूक कारित करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थी द्वारा आपसे बकाया राशि की अदायगी का तकाजा करने पर आप ऋण राशि की अदायगी से गुरेज करने लगें व अनुबन्ध के अन्तर्गत परिणामों से बचने के लिये टालम टोल करने लगें तथा अनुबन्ध की शर्तों को शर्तों को शर्तों को नहत आपका प्रश्नगत वाहन पर आधिपत्य बनाये रखने का अधिकार समाप्त हो गया।
- यह कि उक्त वाहन वर्तमान में आपके आधिपत्य में नहीं रहा है एवं उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार./स्वेच्छा से/ मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 16-Apr-23 को अपने अधिपत्य में लिया गया । इस कारण आपका खाता अनुबंध की शर्तोनुसार फोरक्लोज होना है व आपके जिम्मे बकाया सम्पूर्ण फोर क्लोजर की राशि 387182/— रूपये प्रार्थी कम्पनी आपसे प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

लिहाजा आपको उक्त सूचना—पत्र प्रेषित कर सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 7 दिवस के भीतर प्रार्थी कम्पनी को अपने जिम्में की बकाया फोर क्लोजर राशि 387182/- व निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार अन्य देय राशि (वाहन को आधिपत्य में लिये जाने के सम्पूर्ण खर्चे सहित) प्रार्थी कम्पनी के कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन ''जहाँ है जैसी है स्थिति में' (As on where Basis) के आधार पर बेचान करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। अतः सूचित रहे।

भवदीय अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यु मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)